प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप सचिव (पीआर एण्ड एटीसी),
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
वोमेन सेफ्टी डिवीजन, द्वितीय तल,
मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम,
इण्डिया गेट, नई दिल्ली।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 10-03-2023

विषयः- ईरान राष्ट्र स्थित Bandar Abbas कारागार में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजवीर सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी जनपद-आगरा को शेष सजा उत्तर प्रदेश राज्य की कारागार में भोगने हेतु कारागार का चिन्हांकन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-V-17011/5/2020-21-PR(2), दिनांक 31-01-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ईरान राष्ट्र स्थित Bandar Abbas कारागार में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजवीर सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी बताया गया है, को भारत-ईरान समझौते के अन्तर्गत भारत प्रत्यर्पण के उपरान्त शेष सजा भोगने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य की केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध किया जा सकता है।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-5828/सामा-1(1)/75/बं0 प्रत्यर्पण(राजवीर)/2023, दिनांक 22-02-2023 के संदर्भ में।
2- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
3- पुलिस आयुक्त, आगरा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।